न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं. / प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 6 / 2023

1. इन्द्रा देवी पत्नी स्व0 श्री मंगला जाति कुम्हार निवासी तेलाड़ा तहसील भिनाय केकड़ी
2. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 श्री मंगला जाति कुम्हार निवासी तेलाड़ा तहसील भिनाय केकड़ी
3. ताराचन्द पुत्र श्री मंगला जाति कुम्हार निवासी तेलाड़ा तहसील भिनाय केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी तेलाड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. नारायण पुत्र लक्ष्मण जाति राव निवासी तेलाड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. मानसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपुत निवासी तेलाड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. हरिसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपुत निवासी तेलाड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम　　　　निर्णय दिनांकः–31.01.2023

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री राहुल आचार्य
2. वकील अप्रार्थी– शिवकुमार जोशी
3. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा तैलाड़ा पटवार क्षेत्र सोबड़ी भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंहा के खाता सं0 380 में दर्ज खसरा नं. 105 रकबा 0.31, खसरा नं. 106 रकबा 0.49, खसरा नं. 107 रकबा 0.15, खसरा नं. 108 रकबा 0.14, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.17 है0, खसरा नं. 1176 रकबा 0.20 और खसरा नं. 1177 रकबा 1.17 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 2.63 हैं0** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 5 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 तथा 02 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं0 01 तथा 02 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 03 द्वारा पत्थरगढ़ी बाबत् अनापत्ति प्रस्तुत की। वकील श्री शिवकुमार जोशी द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से वकालतनामा व जबाव पेश कर पत्थरगढ़ी बाबत् अपनी अनापत्ति पेश की। पत्रावली में पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में राजहित प्रभावित ना होने की टिप्पणी अंकित की। वकील वादी, प्रतिवादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम तैलाड़ा के खाता खंख्या 380 संवत 2073–2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीयां की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा तैलाड़ा पटवार क्षेत्र सोबड़ी भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंहा के खाता सं0 380 में दर्ज खसरा नं. 105 रकबा 0.31, खसरा नं. 106 रकबा 0.49, खसरा नं. 107 रकबा 0.15, खसरा नं. 108 रकबा 0.14, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.17 है0, खसरा नं. 1176 रकबा 0.20 और खसरा नं. 1177 रकबा 1.17 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 2.63 हैं0** हेतू नायब तहसीलदार भिनाय को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)